International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 17-07-2026, Accepted: 16-08-2026, Published: 31-08-2026
Volume 12, Issue 3, 2026, Page No. 351-355

मध्यप्रांत की देशी रियासतों का भू–राजस्व प्रशासन और भूमि बंदोबस्त: नांदगांव एवं खैरागढ़ रियासत के विशेष संदर्भ में (1872–1908)

डॉ. दीपक वर्मा
सहायक प्राध्यापक, इतिहास शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय घुमका, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, भारत
DOI: https://doi.org/10.66856/ijhssr.2026.12.3.12308

सारांश
प्रस्तुत शोध–पत्र उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध एवं बीसवीं सदी के आरंभिक वर्षों (1872–1908) के दौरान तत्कालीन मध्यप्रांत (Central Provinces) के छत्तीसगढ़ संभाग की दो प्रमुख सामंती रियासतों — खैरागढ़ एवं राजनांदगांव के भू–राजस्व प्रशासन, बंदोबस्त प्रणालियों, संस्थागत संरचनाओं तथा सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का एक गहन, तुलनात्मक एवं आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक मिस्टर चौपमैन, मिस्टर इस्मे, मिस्टर टॉवनी तथा भारतीय दीवानों (जैसे खैरागढ़ के सैयद मुहम्मद हुसैन व नारायण राव) के ऐतिहासिक अभिलेखों, बंदोबस्त प्रतिवेदनों तथा गजेटियरों पर आधारित यह अध्ययन दर्शाता है कि किस प्रकार पारंपरिक हल आधारित (नांगर) और पंचायती परामर्श प्रणाली से आधुनिक ब्रिटिश वैज्ञानिक/कैडस्ट्रल सर्वेक्षण एवं मालगुजारी समकक्ष प्रणालियों में संक्रमण हुआ। पेपर में दोनों रियासतों में सीर, सिरहा, लाखाबाटा (पुनर्वितरण), विविध उपकरों (कठेना, बंधोर, बिसहा, टीका), तथा नांदगांव के बैरागी मठों के धार्मिक–आर्थिक प्रभुत्व का सूक्ष्म मूल्यांकन किया गया है। अंततः, अध्ययन यह रेखांकित करता है कि प्रशासनिक आधुनिकीकरण ने जहाँ राज्य की वित्तीय क्षमता में वृद्धि की, वहीं 1890 के दशक के अकाल, कृषक असंतोष और सामाजिक–कृषि संबंधों में गहरे संरचनात्मक परिवर्तन भी उत्पन्न किए।

मुख्य शब्द: खैरागढ़ रियासत, नांदगांव रियासत, भू–राजस्व बंदोबस्त, गौंटिया व्यवस्था, सीर एवं सिरहा, लाखाबाटा, नांगर (हल दर), बंदोबस्त, कैडस्ट्रल सर्वेक्षण, मध्यप्रांत

उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्ध मध्यभारत के प्रशासनिक और आर्थिक इतिहास में एक युगांतरकारी कालखंड था। 1861 में 'मध्यप्रांत' के औपचारिक गठन के पश्चात ब्रिटिश सत्ता ने प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्रों के साथ–साथ अधीनस्थ सामंती रियासतों (Feudatory States) के आंतरिक प्रशासन को भी अपने औपनिवेशिक ढांचे के अनुकूल व्यवस्थित करने की प्रक्रिया आरंभ की। छत्तीसगढ़ संभाग में स्थित खैरागढ़ और राजनांदगांव दो ऐसी प्रमुख देशी रियासतें थीं, जिनका कृषि अर्थशास्त्र उपजाऊ मैदानों और वन आच्छादित सीमाओं के अनूठे मिश्रण पर आधारित था।

औपनिवेशिक काल से पूर्व इन राज्यों में भूमि प्रशासन कठोर संहिताबद्ध विधियों के बजाय युगीन परंपराओं, मौखिक समझौतों और सामुदायिक स्वायत्तता पर निर्भर था। परंतु 1870 के दशक के पश्चात् वित्तीय संकटों, प्रशासनिक अक्षमताओं और ब्रिटिश रेजिडेंटों/डिप्टी कमिश्नरों के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप (Court of Wards/Management) ने यहाँ आधुनिक भू–राजस्व बंदोबस्तों का मार्ग प्रशस्त किया। 1872 से 1908 के मध्य हुए भूमि बंदोबस्तों ने न केवल राज्य के राजकोषीय स्वरूप को रूपांतरित किया, बल्कि गाँव के पारंपरिक मुखिया (गौंटिया), काश्तकारों (रैयतों) और कृषि श्रमिकों के पारस्परिक संबंधों को भी नव परिभाषित किया।

पारंपरिक भू–राजस्व प्रणाली का स्वरूप एवं संस्थागत संरचना (Traditional Land Revenue Architecture)

ब्रिटिश सर्वेक्षणों और विशेष रूप से मिस्टर चौपमैन के आधिकारिक विवरणों से स्पष्ट होता है कि दोनों रियासतों में मूल भूमि प्रशासन का आधार अत्यंत व्यावहारिक और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल था। यद्यपि दोनों की मूलभूत संरचना में समानता थी, फिर भी आंतरिक कार्यप्रणाली और सामाजिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण अंतर विद्यमान थे।

1. 'नांगर' या हल प्रणाली (The Plough System)

खैरागढ़ और नांदगांव दोनों में भूमि मापन और कराधान का मूल पैमाना 'नांगर' (हल) था। एक 'नांगर' भूमि का तात्पर्य उस भौगोलिक क्षेत्र से था जिसे चार बैलों की सहायता से एक कृषि चक्र में जोता और संभाला जा सकता था।

भूमि की उत्पादकता एवं दर निर्धारण: खैरागढ़ में उपजाऊ क्षेत्रों में प्रति हल लगान की दर 5 रुपये से 10 रुपये तक थी, जबकि जंगली और पथरीले क्षेत्रों में यह दर घटकर 8 आने से 2 रुपये प्रति हल रह जाती थी। 1884 तक आते–आते उपजाऊ क्षेत्रों में यह दर 15 से 20 रुपये तक पहुँच गई थी।

बीज क्षमता: भूमि के सटीक क्षेत्रफल के अभाव में खेतों की उर्वरता का आकलन उनकी बीज ग्रहण क्षमता (खंडी) के आधार पर किया जाता था। 20 खंडी की बीज क्षमता को ऐतिहासिक रूप से एक 'नागर' के बराबर आंका जाता था।

2. गौंटिया, परगनिया और मध्यस्थ तंत्र

गाँव का प्रशासन 'गौंटिया' (ग्राम प्रमुख) के हाथों में केंद्रित था। गौंटिया केवल एक राजस्व संग्रहकर्ता नहीं था, बल्कि वह गाँव का सामाजिक–प्रशासनिक मुखिया था। उसे गाँव के कुल रैयती लगान को एकत्र कर राजकोष में जमा करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता था।

परगना स्तर पर राजा का प्रतिनिधित्व 'परगनिया' नामक एक वंशानुगत एवं प्रभावशाली गौंटिया करता था। नांदगांव में चार परगने थे, जहाँ परगनिया राजा और परगने के अन्य गौंटियाओं के मध्य स्थायी मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था। खैरागढ़ में भी परगनिया के परामर्श और पड़ोस के गौंटियाओं की पंचायत के आधार पर ही हल दरों में फेरबदल किया जाता था। इसके अतिरिक्त 8 से 10 गाँवों के निरीक्षण हेतु 'बुधकार' नियुक्त होता था, जो फसलों व कृषकों की स्थिति का लेखा–जोखा रखता था।

3. सीर एवं सिरहा भूमि का विशेषाधिकार

गोंटिया को उसकी सेवाओं के पारिश्रमिक और प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन हेतु दो प्रकार की कर–मुक्त भूमियाँ प्राप्त थीं:

3.1 सीर भूमि: यह गोंटिया की निजी खुदकाश्त भूमि होती थी, जिस पर उसे कोई लगान नहीं देना पड़ता था। यह उसके स्थायी पारिश्रमिक का आधार थी।

3.2 सिरहा भूमि: यह सीर के अतिरिक्त आधा नागर से एक नागर तक की विशेष लगान–मुक्त भूमि होती थी। इस भूमि से प्राप्त आय के बदले गोंटिया का यह वैधानिक दायित्व था कि वह गाँव में आने वाले राजा, परगनिया अथवा अन्य राजकीय अधिकारियों को 'रसद' (भोजन, चारा व अन्य सामग्री) निःशुल्क उपलब्ध कराए।

4. 'लाखाबाटा' प्रथा : चकबंदी व समतामूलक पुनर्वितरण

नांदगांव रियासत की एक सर्वाधिक असाधारण एवं लोकतांत्रिक संस्था 'लिखाबाटा' थी। यह प्रथा इस मान्यता पर आधारित थी कि गाँव की उर्वर और अनुपजाऊ भूमि का असमान संकेंद्रण न हो। प्रायः यह देखा जाता था कि गौंटिया गाँव की सर्वोत्तम भूमि को अपनी 'सीर' में सम्मिलित कर लेता था। अतः राज्य ने नियम बनाया कि गौंटिया की सीर भूमि कुल ग्रामीण क्षेत्रफल के 1/5वें या 1/6वें हिस्से से अधिक नहीं हो सकती। यदि किसी किसान (रैयत) या गौंटिया को लगता कि भूमि का बँटवारा न्यायसंगत नहीं है, तो वे राज्य में 'लाखाबाटा' हेतु आवेदन कर सकते थे, जिसके तहत पूरी ग्रामीण भूमि का मिट्टी की किस्म के आधार पर पुनर्वितरण कर दिया जाता था।

सामंती उपकर एवं गैर–राजस्व दायित्व (Feudal Cesses & Obligations)

नियमित भू–राजस्व (जमा) के अतिरिक्त दोनों रियासतों में कृषकों और गोंटियाओं पर विविध प्रकार के सामंती उपकर (Cesses) और बलात वसूली प्रथाएँ लागू थीं, जो कृषक वर्ग पर अत्यधिक आर्थिक बोझ डालती थीं:

कर / उपकर का नाम	खैरागढ़ रियासत में स्वरूप	नांदगांव रियासत में स्वरूप
खरीदी / बिसहा / बंधोर / खरीदी भण्डार	राजा को यह अधिकार था कि वह गाँव के उत्पादों को स्वयं द्वारा निश्चित किये गये दर पर खरीद सके, इसे खरीदी या बंधोर कहा जाता था।	राजा महल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु बाजार भाव से कम दर पर अनाज, तेल, घी, उपले व घास (पशुओं के लिए) की खरीद करते थे इसे 'बिसहा' कहते थे।
दशहरा कर (Dussehra Cess)	दशहरा पर्व पर रियासत को घास एवं बकरा भेंट किया जाता था।	प्रत्येक गाँव से एक बकरी, वस्त्र, गडरियों से ऊनी श्तहरूश, चमारों से चमड़े का श्तोबराश (दाना थैला), लोहारों से लौह निर्मित सामान लिया जाता था।
कठेना (Kathena)	पारंपरिक विविध सामंती उपकर, जिसे 1872 में समाप्त कर 1884 में पुनः लगाया गया और 1892 में पूर्णतः समाप्त किया गया।	नांदगांव में श्कठेनाश व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं रही (चौपमैन के अनुसार)।
पारिवारिक व विशेष अवसर पर कर (Ceremonial Cesses)	चूड़ी और मरोना कर लागू थे। नये पट्टे गौंटिया राजा को श्नज़रानाश (1–5 रु) देते थे । प्रत्येक बंदोबस्त के तीसरे वर्ष गौंटिया अपनी सीर भूमि के एक वर्ष का पूरा राजस्व, प्रतिहल की दर से जमा करते थे जिसे श्पटेली डांड़श कहा जाता था।	राजा या रानी के गाँव में दौरे पर रैयतों से श्सवारी टीकाश के रूप में भेंट प्राप्त होता था , राजा के उत्तराधिकारी के जन्म पर 'लाल टीकाश, तथा राज परिवार में विवाह/मृत्यु पर रैयतों पर वस्तुओं या अनाज के रूप में श्सरबराईश कर लगता था।
जंगल शुल्क	प्रति रुपये लगान पर आधा आना शुल्क, जो किसानों को साधारण श्निस्तारश और चराई का वैधानिक अधिकार देता था।	प्रति रुपये लगान पर आधा आना शुल्क, जो किसानों को साधारण श्निस्तारश और चराई का वैधानिक अधिकार देता था।

नांदगांव में बैरागी मठ एवं धार्मिक–आर्थिक संस्थाएं (Bairagi Monasteries & Economic Burden)

नांदगांव रियासत का एक अद्वितीय और जटिल पहलू उसका धार्मिक–राजनीतिक ढांचा था। नांदगांव के शासक जाति और परंपरा से 'बैरागी' थे। परिणामस्वरूप, राज्य में बैरागी संप्रदाय के मठों का एक सुगठित नेटवर्क स्थापित था, जिसका संचालन अखिल भारतीय स्तर के अखाड़ों (अयोध्या, मथुरा, बनारस) के अनुमोदन से होता था।

महंत, पंच और 'निशान' व्यवस्था: मठों का आंतरिक प्रबंधन 12 वर्ष की कठोर दीक्षा पूर्ण कर चुके महंतों द्वारा किया जाता था, जो नगर के प्रमुख बैरागियों के 'पंच' के अधीन थे। इन महंतों को सोने की कढ़ाई युक्त धार्मिक ध्वज ('निशान') ले जाने का विशेषाधिकार था। निशानधारी महंत को नकद दान और भिक्षा प्राप्त करने का विशेषाधिकार प्राप्त था।

जनता पर जबरन वसूली और राज्य का हस्तक्षेप: महंतों और उनके भ्रमणकारी बैरागी अनुयायियों द्वारा कृषकों से की जाने वाली जबरन वसूली जनता पर एक असहनीय वित्तीय बोझ बन गई थी। लगभग 1870 के दशक में राजा महंत घासीदास ने इस शोषण को नियंत्रित करने हेतु आदेश दिया कि प्रत्येक गाँव मठों का अंशदान सीधे राजकोष में जमा करे।

1889 का बंदोबस्त एवं मठ कर की समाप्ति: जब 1889 में ब्रिटिश प्रबंधन के दौरान बंदोबस्त के प्रस्ताव बने, तो यह उजागर हुआ कि राजकोषीय संग्रह के बावजूद बैरागियों द्वारा ग्रामीण स्तर पर अवैध व्यक्तिगत वसूली जारी थी। अतः राज्य ने मठों के लिए प्रत्यक्ष ग्रामीण कर संग्रह को पूर्णतः समाप्त कर दिया और मठों का भरण–पोषण सीधे राज्य के केंद्रीय खजाने से अनुदान देकर करना प्रारंभ किया।

भू–राजस्व बंदोबस्तों का ऐतिहासिक विकास क्रम (Chronological Evolution of Settlements)

1872 से 1908 के मध्य दोनों रियासतों में बंदोबस्त प्रणाली कई चरणों से होकर गुजरी। यह काल पारंपरिक तदर्थ आकलन से आधुनिक वैज्ञानिक बंदोबस्त की ओर क्रमिक विकास का साक्षी रहा।

1. खैरागढ़ में बंदोबस्त का विकास (1872–1905)

1.1 ब्रिटिश प्रबंधन एवं बंदोबस्त (1872–1883):

1872 में शासक के अक्षमता व कुप्रशासन के कारण खैरागढ़ को रायपुर के डिप्टी कमिश्नर के नियंत्रण में लिया गया। इस दौरान मि. इस्मे (Mr. Ismay) तथा मि. टॉवनी (Mr. Tawney) द्वारा 5–5 वर्षों के दो सारांश बंदोबस्त किए गए। इनमें हलों की संख्या और विगत 7 वर्षों के औसत जमा के आधार पर लगान तय हुआ। छोटे उपकर ('कठेली' व 'बंधोर') समाप्त किए गए और गौंटिया का हिस्सा 20–30ः निर्धारित हुआ।

1.2 नारायण राव दीवान का 9–वर्षीय बंदोबस्त (1884):

यह बंदोबस्त एकड़ और बीज–क्षमता (खांडी) के मोटे अनुमान पर आधारित था। इसमें गौंटियाओं को पहली बार 'संरक्षित दर्जा' (Protected Status) प्रदान किया गया, जिसने उन्हें अनुचित निष्कासन से सुरक्षा दी। उपजाऊ क्षेत्रों में हल दर 15–20 रुपये हो गई।

1.3 प्रथम नियमित कैडस्ट्रल बंदोबस्त (1892–1896):

दीवान खान बहादुर सैयद मुहम्मद हुसैन द्वारा ब्रिटिश प्रांतों की तर्ज पर पूर्ण वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया गया। 524 गाँवों को 7 परगनों में विभाजित कर 10 वर्ष हेतु बंदोबस्त लागू हुआ। इसमें 'सिरहा' को सीर में मिलाया गया, अधिकारियों के लिए रसद का नकद भुगतान अनिवार्य किया गया, और पटवारी–सड़क–स्कूल उपकर (6.25:) लगाया गया। कुल निर्धारित भू–राजस्व लगभग 2,07,000 रु. था।

1.4 1904–05 का पुनरीक्षण:

1899–1900 के भीषण 'अकाल' के कारण राजस्व में लगभग 7,000 रु. की कटौती की गई।

खमरिया परगने का पुनः नियमित और शेष परगनों का बंदोबस्त कर कुल राजस्व 2,06,000 रु. स्थिर किया गया।

2. नांदगांव में बंदोबस्त का विकास (1872–1908)

2.1 प्राचीन 'चौकसी' एवं 'पान टीका' रोटेशन प्रणाली:

नांदगांव के चार परगनों का बंदोबस्त 3–वर्षीय चक्र में होता था। संशोधन प्रक्रिया 'चौकसी' कहलाती थी। इसमें परगनिया व अधिकारियों के पंच और गौंटिया द्वारा नामित 5 मालगुजारों के पंच के बीच बोली लगती थी। अंतिम स्वीकृति को 'लहराओ' और राजा द्वारा पान–वस्त्र भेंट करने के समारोह को 'पान टीका' कहा जाता था।

2.2 प्रथम नियमित कैडस्ट्रल बंदोबस्त (1894):

राजा बलराम दास के शासनकाल में 1894 में कैडस्ट्रल मानचित्र सर्वेक्षण पर आधारित 7–वर्षीय बंदोबस्त लागू हुआ। इसके परिणामस्वरूप राज्य की राजस्व मांग में 37: की अत्यधिक वृद्धि हुई। गौंटियाओं का मुनाफा 20: से बढ़ाकर 25: किया गया।

2.3 कृषक आंदोलन और 1899–1900 का अकाल:

1894 के अत्यधिक कर–निर्धारण के विरुद्ध गौंटियाओं और किसानों ने एक संगठित आंदोलन छेड़ा। यद्यपि प्रशासन ने इसे मालगुजारी अधिकार प्राप्त करने का कृत्रिम आंदोलन माना, परंतु इसके तुरंत बाद पड़े अकाल ने राज्य की कमर तोड़ दी।

2.4 1903 का संशोधित बंदोबस्त (1903–1906):

संकट से निपटने हेतु 1 जनवरी 1903 से 4 वर्षों के लिए राजस्व में 19: की भारी कटौती की गई (2,20,000 रु. से घटाकर 1,82,000 रु.)।

2.5 1907–08 का गतिरोध:

1906 में अवधि समाप्त होने के उपरांत राज–नांदगांव में प्लेग महामारी और 1907–08 में फसलों की विफलता के कारण नया बंदोबस्त पूर्ण नहीं हो सका।

खैरागढ़ एवं नांदगांव: तुलनात्मक सांख्यिकीय एवं प्रशासनिक तालिका

दोनों रियासतों के प्रशासनिक मापदंडों, कर प्रणालियों और वित्तीय प्रवृत्तियों का तुलनात्मक सारांश निम्नवत है:

तुलनात्मक मापदंड	खैरागढ़ रियासत	राज–नांदगांव रियासत
प्रशासनिक विभाजन	524 गाँव, 7 परगने (खमरिया आदि)	4 बड़े परगने (रोटेशन बंदोबस्त)
परंपरागत संशोधन विधि	बुधकार व परगनिया की संस्तुति, स्थानीय पंचायत द्वारा हल दर वृद्धि	'चौकसी' प्रणाली (दोहरे पंचों द्वारा बोली व बातचीत) एवं 'पान टीका'/'लहराओ'
भूमि पुनर्वितरण	अपेक्षाकृत सीमित; हल दर और खांडी बीज क्षमता पर आधारित	'लाखाबाटां' प्रथा (सीर 1/5 या 1/6 भाग तक सीमित, रैयती भूमि का नियमित चकबंदी पुनर्वितरण)
धार्मिक संस्थागत कर	सीमित सामंती प्रभाव (राजा व गोंटिया स्तर तक)	बैरागी मठों, 'निशान' धारक महंतों का व्यापक प्रभाव; 1889 में राज्य द्वारा प्रत्यक्ष कर संग्रह बंद
नियमित बंदोबस्त वर्ष	1892–1896 (दीवान सैयद मुहम्मद हुसैन द्वारा 10 वर्ष हेतु)	1894 (राजा बलराम दास द्वारा कैडस्ट्रल सर्वेक्षण आधारित 7 वर्ष हेतु)
राजस्व वृद्धि / प्रभाव	सफल एवं संतुलित वृद्धि; उदार व्यवहार से व्यापक संतोष; सुरक्षित दर्जा आवंटन	अत्यधिक कर वृद्धि ($37:); तीव्र कृषक व गोंटिया असंतोष/आंदोलन
अकाल उपरांत समायोजन	1899 अकाल बाद 7,000 रु. की रियायत; 1904–05 में 2,06,000 रु. पर स्थिरीकरण	1903 में राजस्व में 19: की भारी कटौती (2.20 लाख से घटाकर 1.82 लाख रु.)
अधिकारियों की 'रसद'	1892 के बंदोबस्त में रसद का नकद भुगतान अनिवार्य; सिरहा भूमि सीर में विलीन	प्रारंभ में 'सिरहा' भूमि से आपूर्ति; बाद में नकद रूपांतरण की प्रक्रिया

आलोचनात्मक मूल्यांकन एवं निष्कर्ष (Critical Evaluation & Conclusion)

1872 से 1908 के मध्य खैरागढ़ और नांदगांव रियासतों के भू–राजस्व प्रशासन का तुलनात्मक विश्लेषण औपनिवेशिक काल के कई महत्वपूर्ण संरचनात्मक आयामों को उजागर करता है:

1. नीतियों की सफलता और विफलता के अंतर्निहित कारण

1.1 खैरागढ़ का संतुलित और संस्थागत दृष्टिकोण:

खैरागढ़ का 1892 का नियमित बंदोबस्त प्रशासनिक रूप से अत्यधिक सफल रहा। इसका मुख्य कारण दीवान सैयद मुहम्मद हुसैन द्वारा अपनाया गया दूरदर्शी दृष्टिकोण था। उन्होंने गोंटियाओं को 'संरक्षित दर्जा' देकर भूमि में पूँजी निवेश और कृषि विस्तार के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही विविध मनमाने उपकरों (कठेली, बंधोर आदि) को समाप्त कर एक स्पष्ट 5: समग्र सेस और 6.25: विकास सेस में समाहित कर दिया, जिससे पारदर्शिता स्थापित हुई।

1.2 नांदगांव का अति–आकलन और संरचनात्मक संकट:

नांदगांव में 1894 का नियमित बंदोबस्त अत्यधिक कठोर साबित हुआ। राजस्व में 37: की एकमुश्त वृद्धि ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वहन क्षमता को पार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप न केवल गोंटियाओं और किसानों का अभूतपूर्व संयुक्त आंदोलन

हुआ, बल्कि 1899 के अकाल ने पूरी प्रणाली को ध्वस्त कर दिया, जिससे अंततः 1903 में राज्य को 19ः की भारी कटौती करने के लिए विवश होना पड़ा।

2. कृषक समाज पर प्रभाव

जहाँ एक ओर कैडस्ट्रल सर्वेक्षणों ने भूमि के अधिकारों को लिखित और संहिताबद्ध कर कानूनी सुरक्षा प्रदान की, वहीं दूसरी ओर इसने सदियों पुरानी 'लाखाबाटा' जैसी लचीली और समतामूलक सामुदायिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त, बाजार अर्थव्यवस्था के प्रसार और नकद लगान की अनिवार्यता ने कृषकों को सूखा और महामारी (जैसे 1906 का प्लेग) के वर्षों में महाजनों और साहूकारों के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, उन्नीसवीं सदी के अंत में खैरागढ़ और नांदगांव का भू–राजस्व इतिहास केवल कर–संग्रह का इतिहास नहीं है, बल्कि यह सामंती मध्ययुगीन परंपराओं से आधुनिक औपनिवेशिक नौकरशाही में संक्रमण का एक जीवंत दस्तावेज है। खैरागढ़ ने सुरक्षात्मक उपायों और संस्थागत सुधारों के माध्यम से स्थायित्व प्राप्त किया, जबकि नांदगांव ने अति–आकलन और धार्मिक–सामंती दायित्वों के टकराव से सीख लेते हुए अंततः बीसवीं सदी के आरंभ में अपने राजस्व तंत्र का पुनर्संतुलन किया।

संदर्भ

1. जेनकिंस ,रिचर्ड , रिपोर्ट आन द टेरिटरिस आफ द राजा आफ नागपुर ,गवर्नमेंट प्रेस ,कलकत्ता ,1827
2. एगन्यू.पी. वांस, ए रिपोर्ट आन दी सूबा आर प्राविंस आफ छत्तीसगढ़ 1820,गवर्नमेंट प्रेस आफ सेंट्रल प्राविंस , नागपुर , 1915
3. एचीसन, सी.यू., ए कलेक्शन आफ ट्रीटीज इंगेजमेंट्स एंड सनद्स अंक 1,गवर्नमेंट प्रेस ,कलकत्ता , 1909
4. माल्कम ,जॉन, ए मेमायर्स आफ सेण्ट्रल इण्डिया इंक्लुडिंग मालवा एंड एडजॉयनिंग प्राविंसेस , अंक 2 ,कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ,लंदन ,1823,
5. रिपोर्ट आफ द एडमिनिस्ट्रेशन आफ सी. पी. एण्ड बरार, गवर्नमेंट प्रेस नागपुर ,1910–11
6. रिपोर्ट आफ द इंडियन स्टेट्स कमिटी 1928–29,हीज मजेस्ट्रीस स्टेशनरी आफिस ,लंदन, 1929
7. टेम्पल ,रिचर्ड , रिपोर्ट आन द जमींदारीस एंड अदर पेटी चीफटेन्सिस 1863 , गवर्नमेंट प्रेस ,नागपुर(रिप्रिंट 1901)
8. चौबे ,गनपत लाल, रिपोर्ट आफ दी एजुकेशन इन छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट्स, गवर्नमेंट प्रेस नागपुर , 1897
9. सिन्हा , एच.एन., सिलेक्शन फ्राम नागपुर रेसीडेंसी रिकाड्र्स , 4 खंड, नागपुर 1942
10. हंटर,डब्ल्यू .डब्ल्यू .द इंपीरियल गजेटियर आफ इंडिया अंक 2 ,कलकत्ता ,1881
11. द इंपीरियल गजेटियर आफ इंडिया, अंक 10, क्लारेनडान प्रेस ,आक्सफोर्ड ,1908
12. डी.ब्रेट,ई.ए.,सेंट्रल प्राव्हिंसेस गजेटियर्स,छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट्स , टाइम प्रेस ,बाम्बे ,1909
13. नेल्सन ,ई.ए., सेंट्रल प्राविंस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर रायपुर डिस्ट्रिक्ट , ब्रिटिश इंडिया प्रेस बांबे,1909
14. नेल्सन ,ई.ए., सेंट्रल प्राविंस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट,पायनियर प्रेस, इलाहाबाद, 1910
15. नेल्सन ,ए.ई. सेंट्रल प्राविंस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर , दुर्ग डिस्ट्रिक्ट , बैप्तिस्त मिशन प्रेस , कलकत्ता , 1910
16. ब्रिटिशकालीन छत्तीसगढ़ हिंदी गजेटियर , भाग 1,बस्तर भूषण ,अष्टराज अम्भोज , झारखंड झनकार , छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी ,2017
17. एस्टन,एस.आर., ब्रिटिश पालिसी टुवाड्र्स द इंडियन स्टेट्स , 1905–1939 , रूटलेज पब्लिकेशन ,दिल्ली , 1985
18. ब्राउन ,ज्यूडिथ, माडर्न इंडिया रू द ओरिजिन ऑफ एन एशियन डेमोक्रेसी , आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ,न्यूयॉर्क ,1994
19. बेकर, डी.ई.यू., चेंजिंग पोलिटिकल लीडरशिप इन एन इंडियन प्राविंस रू द सेंट्रल प्राविंस एंड बेरार, 1919–39,ओ यू पी पब्लिकेशन, दिल्ली,1980
20. बेली, सी.ए., इंडियन सोसायटी एंड द मेकिंग आफ द ब्रिटिश एंपायर , कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ,लंदन, 1988
21. बेहार , (डॉ.), रामकुमार , छत्तीसगढ़ का इतिहास, रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी ,रायपुर, 2018
22. चंदेल, (डॉ.) राकेश कुमार ,छत्तीसगढ़ का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास , साहित्य संस्थान,गाजियाबाद , 2009
23. चंद्र, विपिन , आधुनिक भारत का इतिहास , ओरियंट ब्लैकस्वान ,नई दिल्ली , 2016
24. दीपक, राजनांदगांव समूह की रियासतों का विलीनीकरण रू एक ऐतिहासिक अध्ययन, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, 2026
25. गुप्त ,प्यारेलाल , प्राचीन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी रायपुर,2018
26. जेफरी , रॉबिन , प्यूपिल ,प्रिंसेस एंड पैरामाउंट पावर रू सोसायटी एंड पोलिटिक्स इन इंडियन प्रिंससली स्टेट्स , आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस , दिल्ली ,1978
27. ली–वार्नर , सर विलियम , द नैटिव स्टेट्स आफ इंडिया , मैकमिलन एंड को. लिमिटेड , लंदन ,1910
28. मिश्र,(डॉ.) बलदेव प्रसाद , छत्तीसगढ़ परिचय, हिन्द प्रकाशन , बिलासपुर , 1960
29. मिश्रा ,(डॉ.) प्रभु लाल, दक्षिण कोसल का प्राचीन इतिहास , श्रीमती सरला मिश्र समता कालोनी ,रायपुर , 2003
30. मिश्र,(डॉ,) प्रभुलाल व आचार्य रमेंद्रनाथ मिश्र, छत्तीसगढ़ अभिलेख छवि ,महाकोसल इतिहास परिषद , रायपुर ,2010
31. मिश्र,(डॉ.) रमेंद्रनाथ, ब्रिटिशकालीन छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक इतिहास , पुस्तक प्रतिष्ठान , रायपुर ,1981
32. नियोगी, अजीत के. द पैरामाउंट पावर एंड द प्रिंसेली स्टेट्स आफ इंडिया 1858–81, के पी बागची –कंपनी ,कलकत्ता , 1979
33. पन्नीकर ,के.एम., द इवोल्युशन आफ ब्रिटिश पालिसी टुवार्डस इंडियन स्टेट्स ,1774–1858, एस के लहिरी –को. कलकत्ता, 1858
34. पटेल , (डॉ.) सी. आर.,सी.पी. रियासतों का विलीनीकरण ,बोधि प्रकाशन ,जयपुर , 2013
35. राय ,(डॉ.) सत्या एम., भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद , हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1990
36. सरकार ,सुमित , आधुनिक भारत 1885–1947,राजकमल प्रकाशन प्रा. लि.,नई दिल्ली ,2018
37. शर्मा ,गणेश शंकर व (डॉ.) चंद्रशेखर , राजनांदगाँव जिले का सांस्कृतिक वैभव , महावीर आफसेट ,रायपुर ,2016
38. शर्मा ,गणेश शंकर व (डॉ.) चंद्रशेखर ,डोंगरगढ क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत,महावीर आफसेट ,रायपुर , 2016
39. शर्मा ,सी.एल., छत्तीसगढ़ की रियासतें ,छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी ,रायपुर 2008
40. शुक्ल, हीरालाल ,मध्यप्रदेश का इतिहास ,काशी नगरी प्रचारिणी सभा , काशी , 1996

41. शुक्ल ,रामलखन , आधुनिक भारत का इतिहास ,हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1987
42. शुक्ला , (डॉ.) एस. सी., छत्तीसगढ़ का गौरवपूर्ण इतिहास , स्मृति प्रिंट हाउस ,रायपुर, 2014
43. शुक्ला ,(डॉ.) सुरेशचंद्र ,छत्तीसगढ़ की रियासतों का विलीनीकरण ,मातुश्री पब्लिकेशन ,रायपुर , 2020
44. सिंह ,(डॉ.) शैलेन्द्र ,राजनांदगांव रियासत का इतिहास , अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स ,नई दिल्ली ,2024
45. सिंह,(डॉ.) शैलेन्द्र ,छुईखदान रियासत का इतिहास प्रारंभ से 1953,अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स ,नई दिल्ली , 2020
46. सिंह,प्रदुम्न, नागवंश (द्वितीय भाग), वेदांत प्रिंटिंग प्रेस ,लखनऊ ,2008
47. सिह ,खड़गबहादुर, राजनांदगाँव जिले का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास , कृष्णा प्रकाशन ,राजनांदगांव ,2024
48. शुक्ला ,(डॉ.) शांता , छत्तीसगढ़ का सामाजिक – आर्थिक इतिहास ,नेशनल पब्लिशिंग हाउस ,नई दिल्ली ,1988
49. शील,योगेंद्रनाथ , मध्यप्रदेश और बरार का इतिहास ,इंडियन प्रेस लिमिटेड ,प्रयाग ,1922
50. वर्मा ,भगवान सिंह ,छत्तीसगढ़ का इतिहास ,मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ ,भोपाल, 2001
51. वर्मा, (ठा.) भगवान सिंह ,छत्तीसगढ़ का इतिहास 1818–1854, सेंट्रल बुक हाउस , रायपुर ,1986